उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या-2/2020/ जी-1-19 / दस-2020
लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1733/78-2016-143आई0टी0/ 2014, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा सचिवालय के समस्त विभागों में विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि अनुमन्य किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020/ जी-1-17 / दस-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 में उल्लिखित भत्तों/विशेष वेतन की भांति ही आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा अनुमन्य की गयी प्रोत्साहन राशि की सुविधा भी दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक स्थगित रहेगी ।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।